कार्यालयः—जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः 10984

दिनांकः 16.10.19

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 26081—26111 दिनांक 13.0919 के निर्देशानुसार एवं माननीय अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) झालावाड़ के मार्गदर्शन में पैरा लीगल वॉलियन्टर का पैनल Review, Reassess and Resizing करने के सम्बन्ध में। पंचायत समिति बकानी के लिए 02 एवं मनोहरथाना पंचायत समिति के लिए 03 पी.एल.वी. हेतु क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों से पंचायत समिति में कार्य करने के लिए अस्थाई रूप से पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को लगाया जाना है। पैरा लीगल वॉलियन्टर स्कीम के मुख्य उद्देश्य 'न्याय सब के लिए' की पूर्ति हेतु पैरा लीगल वॉयिन्टर्स के रूप में कार्य करने के इच्छूक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

पात्रता :— पैरालीगल वॉलियेन्टर के लिए कम से कम दसवीं उर्त्तीण होना चाहिए।

आयु :— आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

नोट :— पैरालीगल वॉलियेन्टर के लिए निम्न श्रेणी के व्यक्ति आवेदन कर सकते है।.

1. अध्यापक (सेवानिवृत सहित)
2. सेवानिवृत राज्य कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक
3. एम.एस.डब्ल्यू. के विद्यार्थी एवं अध्यापक
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
5. डाक्टर्स
6. विधि के विद्यार्थी (उनके वकालत में आने तक)
7. गैर सरकारी संस्थान/क्लब के सदस्य एसे व्यक्ति जो राजनीति से जुडे ना हो।
8. महिला संगठनो के सदस्य,महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य।
9. ऐसा शिक्षित कैदी जिसका व्यवहार अच्छा हो एवं जेल में लम्बे समय से सेवाऐं दी हो।
10. स्थानीय निवास के सत्यापन बाबत् आवेदन कर्ता अपना आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड आदि की सत्य प्रति संलग्न करे
11. **जिस पंचायत समिति के लिए आवेदन किया गया है, आवेदक का उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार का निवासी होना आवश्यक है।**

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रत्येक पैरालीगल वॉलियेन्टर्स को, उनको सौंपे गये कार्य की एवज में प्रतिदिन 500/--रू. मानदेय दिया जायेगा जो **प्रतिमाह अधिकतम 14 दिन का कार्य दिया जा सकेगा।**

चयन प्रक्रिया

आवश्यक पैरालीगल वॉलियन्टर्स की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर साक्षात्कार के जरिये प्रशिक्षण के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित प्रारुप में मय अण्डरटेकिंग व्यक्तिशः अथवा डाक के माध्यम से इस कार्यालय में **दिनांक 22.10.2019 को सायं 05.00 बजे तक** प्रस्तुत करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्र कर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक **23.10.2019** को प्रातः 11 बजे से लिया जावेगा। इस बाबत् पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी। अभ्यार्थीगण जिला न्यायालय की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/jhalawar से ही इस बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

संलग्न : आवेदन का प्रारुप मय अण्डरटेकिंग।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
झालावाड (राज.)

क्रमांक 10985—10995

दिनांक 16.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. श्रीमान् सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
2. अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति अकलेरा
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति बकानी/मनोहरथाना
4. नोटिस बोर्ड कार्यायल हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड़/जिला कलक्टर झालावाड़
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झालावाड़
6. उप. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झालावाड़
7. वेबसाईट http://ecourts.gov.in/ jhalawar
8. रक्षित पत्रावली

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश)
झालावाड (राज.)

Scanned by CamScanner

फोटो

आवेदन पत्र

आवेदित पद : पैरा लीगल वॉलियन्टर

1. नाम ....

2. पिता / पति का नाम ....

3. जन्म तारीख ....

4. सम्पूर्ण पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

....

5. शैक्षणिक योग्यता ....

6. अन्य योग्यता ....

7. बैंक खाता नम्बर ....

8. जिस पंचायत समिति हेतु आवेदन किया गया है
   1 पंचायत समिति बकानी
   2 पंचायत समिति मनोहरथाना

9. अनुभव (यदि हो) ....

10. वार्षिक आय ....

उपरोक्त विवरण सही है व मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छुपाया है।

संलग्न :
1. अण्डरटेकिंग एवं अनुभव प्रमाण–पत्र (यदि हो)।
2. निवास सत्यापन हेतु राशन–कार्ड / आधार कार्ड /मतदाता पहचान पत्र / मूल निवासी की प्रति
3. अन्य पहचान पत्र

दिनांक :

स्थानः

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

अण्डर टेकिंग

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

जाति .... निवासी ....

पैरालीगल वॉलियन्टर्स किसी भी राजनैतिक संस्था एंव वकालत क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। यदि जाँच करने पर गलत पाया जाये तो मेरी पैरालीगल वॉलियेन्टर की नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। मुझे सुपुर्द किये गये कार्य में लापरवाही पाये जाने पर एवं अन्य कारणों से कभी भी मुझे बिना नोटिस दिये हटाया जा सकेगा, जिसके लिए मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। यह अण्डर टेकिंग मैंने सोच समझकर दी है।

दिनांक :

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner